

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 17.4.2012

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-01- वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01-तेनुघाट बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 2700- वृहद सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 01-तेनुघाट बाँध परियोजना	197.850

कुल आवंटित राशि - रुपये एक करोड़ सतानवे लाख पचासी हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध ₹ 490.97 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख सतानवे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

Li

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगी अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 08

राँची, दिनांक :- 17.4.2012

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/हजारीबाग/बोकारो/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 08

राँची, दिनांक :- 17.4.2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(हस्ताक्षर)

(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.

(हस्ताक्षर)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(हस्ताक्षर)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(हस्ताक्षर)

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-वृहद सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-वृहद सिंचाई वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-01-तेनुघाट बाँध परियोजना

पत्रांक 08 दिनांक 17.4.12 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विस्तृत शीर्ष-02- यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04- मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07- अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय		कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय			
	कार्यालय का नाम	49N270001001010101			49N2700010 01010110	49N2700010 01010112	49N2700010 01010213	49N270001 001010315	49N27000 100101031	49N270001 001020323	49N2700 01001010	49N27000 100101033	49N27000 10010103	49N2700010 01010442	49N270001 001010760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट	25.000	15.000	40.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	40.800	
2	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट	98.000	58.000	156.000	0.000	0.000	0.550	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	157.050	
	कुल आवंटन	123.000	73.000	196.000	0.000	0.000	0.550	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	197.850	

नोट: 1 वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

2. देशीय यात्रा व्यय मद में राशि का आवंटन WP(S) -5228/11 में पारित न्यायादेश के आलोक में अ० अ० तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट के पत्रांक-269 दिनांक-28.02.2012 द्वारा प्राप्त अध्याचना के आधार पर संबंधित कर्मी के भुगतान हेतु दिया जा रहा है।

3. WP(S) -5228/11 में पारित न्यायादेश के आलोक में उपलब्ध कराये जा रहे वर्तमान आवंटन से अनुमान्य राशि का नियमानुसार भुगतान किया जाय।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये एक करोड़ संतानबे लाख पचासी हजार मात्र

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव